खण्ड-433, अंक-1
गुरूवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1922
(23 मार्च, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क–ठ
उपस्थित सदस्य	ढ
राष्ट्रीय-गीत	1
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रयास.....(जारी)	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न... ...	2
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रयास	2–3
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	3–16
उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000(सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	16-17
उत्तर प्रदेश व्यवसाय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 - (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 - (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)	17

विषय	पृष्ठ संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे, वर्ष 1998-99 तथा विनियोग लेखे, वर्ष 1998-99, उत्तर प्रदेश सरकार–(सदन के पटल पर रखे गये)	17
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000– (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	17–18
उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	18
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	18
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	18
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा श्री मुराद लारी के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना	19
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	19
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	19
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000(श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	19–20
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	20
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)... ...	20
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000– (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)...	20
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव–(स्वीकृत) ...	20–24

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
5–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
7–अजय राय, श्री — वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री — बलिया
12–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
13–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
15–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
16–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अब्दुल सलाम, श्री — प्रतापगढ़
21–अमर मणि, श्री — महराजगंज
22–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
53–ओम प्रकाश, श्री — एटा
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
56–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
57–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
58–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59–काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
60–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
61–कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
62–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
63–काशी राम, श्री — रामपुर
64–किशन लाल दधेल, सेठ — आगरा

65–कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
66–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री पिथौरागढ़
67–कृष्णपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
68–कृष्णा राज, श्रीमती खीरी
69–केदार सिंह फोनिया, श्री चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
71–केशो मेहरा, श्री आगरा
72–के० सी० सिंह "बाबा", श्री उधम सिंह नगर
73–कैलाश, श्री गाजीपुर
74–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
75–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
76–कौकब हमीद, श्री मेरठ
77–कौशल किशोर, डा० खीरी
78–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
79–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
80–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
81–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
82–गणेश राजभर, श्री गाजीपुर
83–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
84–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
85–गोमती यादव, श्री लखनऊ
86–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
87–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
88–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लखनऊ
89–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
90–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
91–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
92–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
93–चेनराम, श्री शाहजहांपुर
94–चौधरी नरेन्द्र सिंह कानपुर देहात
95–चौधरी बाबूलाल आगरा
96–चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा
97–डब्बू पटेल, श्री वाराणसी
98–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
99–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
100–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
101–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
102–जगपाल, श्री सहारनपुर
103–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
104–जगत सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
105–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
106–जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
107–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
108–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
109–जटा शंकर, श्री बहराइच
110–जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
111–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
113–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
114–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
115–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
116–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
118–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री गोरखपुर
119–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
120–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
121–ज्ञानवती सिंह, डा० अलीगढ़
122–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
123–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
124–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
125–तिलकराज बेहड़, श्री उधम सिंह नगर
126–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
127–तोताराम, श्री मुरादाबाद
128–तौसीफ अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
129–दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
130–दयाशंकर, श्री जालौन
131–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
132–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
133–दिलीप कुमार, श्री बहराइच
134–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
135–दीप लाल भारती, श्री पडरौना
136–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
138–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर

139–धनीराम वर्मा, श्री इटावा
140–धर्मज्ञ मिश्र,डा० हरदोई
141–धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
142–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
143–नन्दराम, श्री बरेली
144–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
145–नरेन्द्र सिंह, श्री आजमगढ़
146–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
147–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
148–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
149–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
150–नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
151–नारायण राम दास, श्री अल्मोड़ा
152–निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
153–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
154–नेतराम सिंह, श्री एटा
155–''पटेल'' रामकुमार वर्मा, श्री खीरी
156–परवेज हलीम खां, श्री मेरठ
157–पीटर फैन्थम नाम-निर्देशित सदस्य
158–पीतम राम, श्री पीलीभीत
159–पूरन सिंह दुन्देला, श्री ललितपुर
160–पूर्णमासी पंकज, श्री भदोही
161–प्रदीप कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
162–प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
163–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती फर्रुखाबाद
164–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वाराणसी
165–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
166–प्रेमपाल सिंह यादव, श्री बदायूं
167–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
168–प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
169–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री बदायूं
170–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
171–फरीद महफूद किदवाई, श्री बाराबंकी
172–फागू, श्री मऊ
173–बंश नारायण सिंह, श्री भदोही
174–बंशीधर भगत, श्री नैनीताल
175–बचनूराम पटेल, श्री वाराणसी
176–बच्चा पाठक, श्री बलिया
177–बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
178–बनारसी दास चान्दना, श्री मेरठ
179–बांके लाल सोनकर, श्री जौनपुर
180–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री हरदोई
182–बाबूराम, श्री जालौन
183–बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
184–बाबू लाल कुरील, श्री उन्नाव
185–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
188–बावन सिंह, श्री गोण्डा
189–बिजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
190–बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
191–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
192–बी०आर० वर्मा, श्री जौनपुर
193–बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
194–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री सीतापुर
195–बेचन राम, श्री गोरखपुर
196–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
197–भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
198–भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
199–भरत सिंह, श्री बलिया
200–भाई लाल, श्री मिर्जापुर
201–भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
202–भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
203–भोनू राम सोनकर, श्री गाजीपुर
204–भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
205–मंगल सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
206–मंजू, श्रीमती बलिया
207–मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
208–मनेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
209–मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
210–मलखान सिंह, श्री अलीगढ़
211–मस्तराम, श्री उन्नाव
212–महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
213–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
214–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर

215–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
216–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
217–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
218–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
219–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
220–मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
221–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
222–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
223–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
224–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
225–मुन्ना चौहान, श्री — देहरादून
226–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
227–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
228–मुराद लारी, श्री — देवरिया
229–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
230–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
231–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
232–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
233–मोती लाल, श्री — खीरी
234–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
235–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
236–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
237–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
238–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
239–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
240–रंगनाथ मिश्र श्री — भदोही
241–रंगबहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
242–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री — अल्मोड़ा
243–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
244–रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
245–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
246–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
247–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर, — पडरौना
248–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
249–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — गढ़वाल
250–रमेश राही, श्री — सीतापुर
251–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
252–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
253–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
254–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
255–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
256–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
257–राजधारी, श्री — बलिया
258–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
259–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
260–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
261–राजाराम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
262–राजाराम पाल, श्री — कानपुर देहात
263–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
264–राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
265–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
266–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
267–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
268–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
269–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद
270–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
271–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
272–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
273–राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
274–राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
275–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
276–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
277–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
278–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
279–राम कुमार एडवोकेट, श्री — उन्नाव
280–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
281–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
282–राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
283–राम चन्दर यादव, श्री — फैजाबाद
284–राम जग, श्री — आजमगढ़
285–राम तेज यादव, एडवोकेट — बहराइच
286–राम नक्षत्र, श्री — पडरौना
287–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
288–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़

289–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
290–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
291–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
292–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
293–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
294–राप प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
295–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
296–राम बाबू हरित, श्री आगरा
297–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
298–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
299–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
300–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
301–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
302–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
303–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
304–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
305–राम सिंह, डा० अलीगढ़
306–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
307–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
308–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
309–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
310–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
311–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
312–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
313–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
314–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
315–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
316–रिफाकत हुसैन चौधरी, डा० मुरादाबाद
317–रूप चौधरी, श्री मेरठ
318–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
319–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
320–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
321–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
322–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
330–बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360–शिव प्रसाद, श्री हरदोई
361–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर

362–शिव शंकर, श्री — बांदा
363–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
364–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
365–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
366–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
367–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
368–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
369–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
370–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
371–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
372–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
374–श्रीराम, श्री — मऊ
375–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
376–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
382–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
385–सन्त, श्री — गोरखपुर
386–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
387–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
388–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
389–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
390–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
391–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
392–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, श्री — मुरादाबाद
393–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
394–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
396–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
400–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री — बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री — बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री — उधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
411–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
412–सौलत अली, एडवोकेट — मुरादाबाद
413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिनारायण, श्री — बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
421–हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
422–हरीशचन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
423–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
426–रिक्त — एटा

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राम प्रकाश (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा
4	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
5	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास
9	श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण
12	श्री राजधारी सिंह	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
18	श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
20	श्री बाबू राम, एम०काम०	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
21	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क
22	श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
23	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
24	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
25	श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
26	श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
27	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
28	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व
29	श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण	कारागार
30	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
31	श्री धनराज यादव	उद्यान
32	श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स
33	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
34	श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
35	श्री राजाराम पाण्डे	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
36	कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल
37	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2	श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3	श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास
4	श्री अशोक यादव	पर्यटन
5	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
6	श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।
7	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
9	श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
10	श्री सुरेश खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2	श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3	श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4	श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई
5	श्री सतीश शर्मा	वित्त
6	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7	श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा
11	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13	श्री विवेक कुमार सिंह	ऊर्जा
14	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15	श्री वंश नारायण पटेल	कृषि
16	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
18	श्री राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	श्री बंशीधर भगत	वन
22	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
23	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
24	श्री नारायण राम दास	आबकारी
25	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
26	श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	गन्ना विकास
27	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
28	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
29	सुश्री डा० शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
30	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एव पुष्टाहार
31	श्री गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
32	श्री राम आसरे कुशवाहा	खाद्य एवं रसद
33	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
34	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व
35	श्री बिहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
36	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
37	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
38	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
39	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
40	डा० अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
41	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत एवं व्यापार कर
42	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	पशुधन एवं मत्स्य
43	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल
44	श्री मुन्ना लाल मौर्य	उद्यान

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),

3–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

4–श्री हरवंश कपूर, सदस्य, विधान सभा, (देहरादून),

5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),

6–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा (हरिद्वार),

7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),

8–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),

10–श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भईया' कुंवर	प्रतापगढ़
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
अमर मणि, श्री	महराजगंज	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	राम बाबू हरित, डा०	आगरा
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू" श्री	गोण्डा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के वर्ष 2000 के प्रारम्भ सत्र में आप सभी का स्वागत है और आज की कार्यवाही हम "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ करते हैं ।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

कृपया स्थान ग्रहण करें, अब मैं मद संख्या 2 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 110 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं–

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं वह कुछ कहना चाह रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्,अभी आप जिस अभिभाषण को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहते हैं, उस अभिभाषण को महामहिम राज्यपाल जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जो मैंने उनसे निवेदन किया था कि यह अभिभाषण एक ऐसी सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

(श्री हुकुम सिंह द्वारा कुछ टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कह लीजिएगा।

श्री धनी राम वर्मा–

आप संसदीय कार्यमंत्री हैं। आप टोकाटाकी न करें, आप व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस अभिभाषण को जिसे महामहिम राज्यपाल जी ने यह स्वीकार करते हुए कि यह सरकार जो मौजूदा सरकार है वह धर्मस्थल विधेयक जबर्दस्ती पारित करवाकर अल्पसंख्यकों में दहशत पैदा करना चाहती है, पंचायतों के चुनाव बढ़ाकर और नामजद प्रधानों का नामिनेशन करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन करना चाहती है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस समय है ही नहीं, यह छात्रविरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी है, इन सारी चीजों को राज्यपाल जी ने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में यह बातें कही जा सकती हैं।

श्री धनी राम वर्मा–

श्रीमन्, जब महामहिम जी ने अभिभाषण पढ़ा ही नहीं है तो आपके द्वारा पढ़ने का औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण का शुरू का कुछ अंश पढ़ा था और बाद का कुछ अंश पढ़ा था इसलिये वह पढ़ा हुआ माना जायेगा।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवनों और स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 से सम्बन्धित नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं–

"इस सदन का निश्चित मत है कि उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किया जाय"।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के अनुसार इस प्रस्ताव को दीजिएगा तो विचार किया जायेगा।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के नियम 110 को देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि बिना सूचना के प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष–

जब अध्यक्ष अनुज्ञा देंगे तब।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, बिना माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा के ये प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी खड़े हुए और आपसे अनुमति मांगी, आपने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहां अनुमति दी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अब आपकी अनुमति के बाद नियम 110 के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए सूचना दी जाय, बिना सूचना के यह दी जा सकती है और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसी के तहत यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। मैं अब मद सं०–2 ले रहा हूं। माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 2000 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।

विधान मण्डल के माननीय सदस्य श्रीयुत् श्री निवासमणि त्रिपाठी, स्वामी परमानन्द "दण्डी", मास्टर कँवरपाल सिंह और श्री ओंकार सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे।

श्री प्रमोद कुमार–

आप फिर अभिभाषण को पढ़ रहे हैं, जो प्रस्तुत ही नहीं हुआ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मुराद लारी–

अभिभाषण पढ़कर आप स्वयं सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं ।

[श्री मुराद लारी, श्री उदय राज यादव, श्री इलम सिंह, श्री लालमणि प्रसाद, श्री इकबाल महमूद, श्री अब्दुल कलाम (दस्ती), श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री आलम बदी, श्री जोखू लाल यादव, श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री तौफीक अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री भोलू राम सोनकर एवं श्री वसीम अहमद सहित विपक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये और रिपोर्टर्स टेबुल को चारों तरफ से घेर लिया जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अध्यक्ष के अभिभाषण पढ़ते रहने पर)

(सदन की वेल में आये हुए सदस्यगण नारे लगाते रहे तथा कई सदस्य कागज के गोले माननीय अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंकते रहे)

माननीय सदस्यगण,

। इनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का भी इस बीच देहावसान हो गया । उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । लब्धप्रतिष्ठ इस्लामी विद्वान् मौलाना सय्यद अबुल हसन 'नदवी' उर्फ अली मियाँ का भी इन्तिकाल हो गया । मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूँ । सशस्त्र स्वतन्त्रता आन्दोलन की क्रान्तिकारिणी आदरणीया दुर्गा भाभी हमारे बीच नहीं रहीं । मैं उनके प्रति श्रद्धावनत हूँ । मैं उन सभी नाम और अनाम दिवंगतों को श्रद्धा-पुष्प अर्पित करता हूँ जिनकी उड़ीसा में आये भयंकर समुद्री तूफान में मृत्यु हुई ।

हम सभी उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने कारगिल में अपनी जान की परवाह किये बिना सीमाओं की रक्षा की । मेरी सरकार ने प्रतीक के रूप में प्रत्येक शहीद के परिवार को 10 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता, शहीदों की पत्नियों को सेवायोजित करने तथा सेवायोजन के विकल्प के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने, शहीदों के माता-पिता को जीवन-पर्यन्त 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने सम्बन्धी निर्णय लिये । इसके तहत 173 शहीदों के परिवारों को सहायता पहुँचायी गयी । यह सभी एक कृतज्ञ प्रदेश की अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्हें हम बार-बार नमन करते हैं ।

मेरी सरकार ने अभी तक के अपने कार्यकाल में आप सभी के सहयोग से प्रदेश के विकास को नयी दिशा और नये आयाम देने का सफल प्रयास किया है । इस काल में राज्य की छवि में निखार आया है और उत्तर प्रदेश को प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किया जाने लगा है । इस अवधि में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनमें वित्तीय सुधार, श्रेष्ठ अभिशासन, विकेन्द्रीकरण एवं जनसहभागिता, ऊर्जा सम्बन्धी सुधार, विनियमीकरण की दिशा में प्रयास, सार्वजनिक उपक्रमों विषयक नीति की घोषणा, अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, त्वरित औद्योगीकरण हेतु प्रयास, विभिन्न कार्यों में सूचना-प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सुविधाएं आदि प्रमुख हैं । मैं

नोट :- । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संक्षेप में इनका उल्लेख करूँगा तथा भविष्य में जिन नीतियों को निर्मित और कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना है, उनके विषय में प्रकाश डालूँगा ।

1. उत्तर प्रदेश : श्रेष्ठ अभिशासन की ओर अग्रसर राज्य

1.1 'श्रेष्ठ अभिशासन' की सबसे पहली शर्त प्रदेश में अच्छी कानून-व्यवस्था स्थापित करना है । इस हेतु मेरी सरकार ने अपराधियों की गिरफ्तारी तथा आपराधिक तत्वों एवं माफिया गिरोहों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कानून जैसे गिरोहबन्द अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि के अन्तर्गत कठोरतम् कार्यवाई के कड़े निर्देश दिये हैं । इनसे शान्ति-व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना है ।

1.2 तेरहवीं लोकसभा के सामान्य चुनावों में निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है ।

1.3 जनसाधारण को पुलिस सेवायें त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए पुलिस नियन्त्रण कक्षों में आधुनिक नवीन प्रणालियों जैसे कम्प्यूटरीकृत सूचना का आदान-प्रदान एवं 'वायस लागिंग सिस्टम' आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं । पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संचार व्यवस्था 'पोलनेट' से सुसज्जित किया जा रहा है ।

1.4 अपराधों की विवेचना एवं उसके उपरान्त अभियोजन की कार्यवाई हमारी कानून-व्यवस्था की कमजोर कड़ी रही है । समुचित प्रकार से विवेचना न हो पाने का एक प्रमुख कारण पुलिस बल का अन्य कार्यों में व्यस्त रहना रहा है । इसमें गुणात्मक सुधार हेतु नगरीय क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था एवं विवेचना पुलिस को पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

1.5 समाज के सभी वर्गों को शान्तिपूर्ण ढंग से जीवन-यापन की सुविधा विकास के लिए आवश्यक शर्त है । शासन एवं प्रशासन द्वारा इसे केवल अपने बल पर नहीं बनाये रखा जा सकता है । इसके लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है । इस मूलभूत सिद्धान्त को अपनाकर मेरी सरकार ने इस कार्य में जनसहभागिता बढ़ाने का निर्णय लिया है । तदनुरूप पुलिस के कार्यों में जनसामान्य के सहयोग अर्थात् कम्युनिटी पुलिसिंग हेतु एक विस्तृत योजना बनाकर 11 नगर निगम क्षेत्रों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

1.6 मेरी सरकार आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति भी जागरूक है। इन क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए इन्डो-नेपाल सीमावर्ती बल को विधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

1.7 जनता को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासन-तन्त्र को संवेदनशील बनाने तथा उसकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु कदम उठाये जा रहे हैं । प्रदेश में 'प्रशिक्षण नीति' के तहत सभी स्तर के लोक-सेवकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है । इस हेतु प्रत्येक विभाग को अपने वेतन बजट का एक प्रतिशत प्रशिक्षण मद में आरक्षित करना होगा ।

1.8 मेरी सरकार द्वारा हर स्तर पर जवाबदेही तय करने, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार निवारण हेतु कदम उठाये गये हैं । स्वयं को अनुशासन में बाँधना आवश्यक है । 15 विभागों में 'नागरिक अधिकार पत्र' तैयार कर लागू कर दिया गया है ।

1.9 माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9 बजे से सीधे जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाता है । समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भी आदेश दिये गये हैं कि वे प्रत्येक कार्य-दिवस में अपने कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक जनता से भेंट का समय निर्धारित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें ।

1.10 इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शासन एवं प्रशासन की कार्य-प्रणाली जितनी अधिक पारदर्शी होगी और जितनी अधिक सूचना जनता के पास रहेगी, लोकतन्त्र की जड़ें उतनी ही अधिक मजबूत होंगी । इसी को दृष्टिगत रखते हुए 'सूचना के अधिकार' के सम्बन्ध में अधिनियम बनाये जाने का प्रकरण मेरी सरकार के विचाराधीन है ।

1.11 मेरी सरकार भ्रष्टाचार निवारण के लिए कटिबद्ध है । भ्रष्ट लोक-सेवकों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाई की जायेगी । इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण से सम्बन्धित एजेंसियों, जैसे– सतर्कता अधिष्ठान, भ्रष्टाचार निवारण संगठन तथा आर्थिक अपराध शाखा, को समयबद्ध रूप से जाँचें सम्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया है । लोक-सेवकों के पास बड़ी मात्रा में अनानुपातिक परिसम्पत्ति पाये जाने पर ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु भी कार्यवाई की जायेगी । प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन हेतु स्वीकृतियों सम्बधी कार्यवाई में होने वाले विलम्ब को दूर किया जावेगा ।

2. उत्तर प्रदेश : सुधारों की ओर अग्रसर राज्य

सुधारों की दिशा में मेरी सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये उनमें से कुछ का मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा ।

2.1 राज्य की विषम वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार द्वारा व्यापक वित्तीय सुधार लागू किये गये हैं । इनका मुख्य लक्ष्य अनुत्पादक मदों में हो रहे व्यय में कमी करना, राजस्व में बढ़ोत्तरी करना तथा राज्य द्वारा जनता को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं में 'उपभोक्ता-अधिभार' को रख-रखाव में व्यय हो रही धनराशि के स्तर पर लाने का प्रयास करना है ।

2.2 वर्ष 1999-2000 को 'विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता' का वर्ष घोषित किया गया है । इसके तहत 8 विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायतों के अधीन कार्य करने हेतु अन्तरित किया गया है । ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राजकीय नलकूप, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा समाज कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । इसी के साथ ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग, दशम् वित्त आयोग एवं सम्बन्धित विभागीय योजनओं की धनराशि भी सीधे अन्तरित की गयी है । इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं ।

2.3 जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष प्रारम्भिक, केन्द्र एवं शीर्ष समितियों को सम्मिलित करते हुए 12 हजार से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के निर्वाचन मेरी सरकार ने सम्पन्न कराये हैं । इसके फलस्वरूप सहकारी समितियों का प्रबन्ध जनतान्त्रिक प्रणाली के अनुसार विधिवत्

निर्वाचित सदस्यों के हाथों में सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि इन चुनावों में एक लाख से अधिक पदाधिकारी निर्वाचित किये गये हैं।

2.4 अब 'जिला योजना समिति' के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय कर 'जिला योजना' बनवाये जाने का कार्य पूर्णतः जनपद स्तर पर कराया जा रहा है। साथ ही जिला सेक्टर की योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 'जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति' भी कार्यरत रहेगी।

2.5 माननीय विधान मण्डल द्वारा 'उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम' पारित होने के उपरान्त 'विद्युत नियामक आयोग' का गठन किया जा चुका है। विद्युत सुधार अधिनियम को 14 जनवरी, 2000 से लागू करते हुए 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्' के स्थान पर तीन निगमों यथा–उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की जा चुकी है। इनका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता बढ़ाना, हर स्तर पर जवाबदेही निर्धारित करना, श्रेष्ठतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा विद्युत देना है। इसी क्रम में मेरी सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2000 को भारत सरकार के साथ एक 'समझौता ज्ञापन' पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इसके अन्तर्गत ऊर्जा विषयक सभी सुधारों को समयबद्ध रूप से लागू किया जाना है। इससे भारत सरकार से राज्य सरकार को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

2.6 प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम इकाइयों का कार्य आशा के अनुरूप नहीं रहा। सरकार द्वारा निरन्तर इनमें पूँजी-निवेश किया जाता रहा। परन्तु इनसे अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः इनकी समीक्षा कर इनके सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु मेरी सरकार द्वारा 'विनिवेश आयोग' का गठन किया जा चुका है।

2.7 यह देखते हुए कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे अधिनियमों, नियमों, उप-नियमों, विनियमों और आदेशों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो अधिक समय बीत जाने के कारण या तो निरर्थक हो गये या उनमें संशोधन की आवश्यकता है। इन सभी पर समेवेत विचार हेतु एक 'विनियमीकरण समिति' का गठन किया गया है जो वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर नवीन अधिनियमों, नियमों, उप-नियमों, विनियमों एवं आदेशों के सम्बन्ध में सुझाव देगी। साथ ही वर्तमान प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु संस्तुतियाँ भी उपलब्ध करायेगी।

2.8 मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन नीतियाँ घोषित की गयी हैं। इनके तहत कार्य योजनायें बनाकर नीतियों को तेजी से लागू किया जायेगा।

2.9 प्रशासन को नयी दिशा देने, उसके कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने, निर्णय को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी, सरल एवं सर्व-स्वीकार्य बनाने तथा इनमें अद्यावधिक प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग में 'नीति निर्धारण प्रकोष्ठ' गठित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक 53 विभागों में इन प्रकोष्ठों का गठन किया जा चुका है।

2.10 सार्वजनिक उद्यम के क्षेत्र में सुधार हेतु मेरी सरकार ने दीर्घकालीन नीति निर्धारित की है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ावा देना है जो सामाजिक सेवाओं में लगे हैं। ऐसे सार्वजनिक उद्यमों, जिनके कार्य अब निजी क्षेत्र द्वारा किये

जा रहे हैं, को सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के बिन्दु का परीक्षण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त एक ही कार्य कर रहे विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों को व्यावहारिक आधार पर एकाकार किये जाने के बिन्दु पर भी विचार किया जाएगा ।

3. उत्तर प्रदेश : वैज्ञानिक कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर राज्य

3.1 उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रमुख कृषि प्रदेशों में एक है । पूरे देश का 20 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन इस प्रदेश में होता है । 'कृषि नीति' में भी यही परिकल्पना की गयी है कि प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ राष्ट्र के धान्य भण्डार के रूप में विकसित हो ।

3.2 वर्ष 1999 में खरीफ फसल पूर्व वर्षों की तुलना में अच्छी रही है और वर्ष 1999-2000 की रबी में भी रिकार्ड उत्पादन होने के स्पष्ट संकेत हैं । परन्तु अभी भी हमारी फसल की सफलता खाद, बीज, ऋण, सिंचाई, रोग-नियन्त्रण आदि बातों के अतिरिक्त काफी कुछ मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करती है । मेरी सरकार का प्रयास है कि यथा-संभव इस क्षेत्र की अनिश्चितता को कम किया जाए । इस हेतु भारत सरकार द्वारा लागू की गयी "कृषि बीमा योजना' को प्रदेश में लागू किये जाने का मेरी सरकार ने निर्णय लिया है । अनिश्चितता को कम करने के साथ-साथ कृषि बीमा योजना से किसानों को वर्तमान में कम प्रचलित कार्यों जैसे–नई प्रजातियों का उत्पादन आदि के प्रति भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।

3.3 कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों एवं योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार ने जनपद मेरठ में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से 'सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना का निर्णय लिया है ।

3.4 सिंचन क्षेत्र के अन्तर्गत लागू किये जा रहे सुधारों में नहरों से की जा रही सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत 'जल उपभोक्ता समूहों' का गठन किया जायेगा । इन समूहों को जल वितरण हेतु रोष्टर बनाने का अधिकार होगा । इनके नियमन हेतु 'उपयोगिता नियामक आयोग' का गठन किया जा रहा है ।

3.5 उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है । प्रदेश के 32 लाख गन्ना किसानों के लाभ हेतु चालू पेराई सत्र में अगैती एवं सामान्य प्रजातियों के गन्ने का मूल्य क्रमशः 90 रुपये तथा 85 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है जिससे उन्हें इस सत्र में लगभग 225 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होगा ।

3.6 विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना' चलायी जा रही है । वर्ष 1998 से प्रारम्भ 5 वर्ष अवधि की इस परियोजना में तीन चरणों में प्रदेश के 72 जनपदों के कुल 192 विकास खण्डों में लगभग 700 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन विनियोजित होंगे । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को कृषि के साथ-साथ अन्य आर्थिक क्रिया-कलापों जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, औद्यानीकरण, रेशम-कीटपालन आदि के लिए प्रेरित करना है । इसमें

कृषि संबंधित शोध-कार्य, प्रसार द्वारा उत्पादन वृद्धि, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों तथा हाट-पैठों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण भी किया जायेगा ।

3.7 औद्यानिकी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल आलू है । इस वर्ष आलू का लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है । भण्डारण क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के कारण क्षमता में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे किसानों को इसका सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है । औद्यानिकी की नवीन नगदी फसलों, यथा मैंथा, मशरूम, पुष्प, पान आदि की उन्नत प्रजातियों के माध्यम से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं । इन्हें और आगे बढ़ाते हुए किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन सृजित किये जायेंगे ।

3.8 प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र एवं सन्तुलित विकास हेतु मेरी सरकार निरन्तर प्रयासरत एवं वचनवद्ध है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख रूप से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम-स्व-रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा, बायोगैस योजना तथा ग्रामीण पेयजल योजना हैं । इनके अन्तर्गत चालू वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपये का व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है । स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 22 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है । इसमें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि प्रति माह इनकी आय 2,000 रुपये हो सके । जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से तथा सुनिश्चित रोजगार योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र एवं जिला पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में ग्रामीण अंचलों के एक लाख नब्बे हजार आवासहीन गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

3.9 मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या एवं घटती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों के प्रति जागरूक है । इनमें पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । गोवंशीय पशुओं के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उनके वध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सृजित किये गये 'गो सेवा आयोग' को सुदृढ़ कर प्रभावी बनाया जा रहा है । दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम को 'आनन्द' पद्धति पर निष्पादित किया जा रहा है । ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु 'महिला डेयरी परियोजना', तथा अन्य हेतु 'सघन मिनी डेयरी परियोजना' अधिकांश जनपदों में चलायी जा रही है ।

3.10 ग्रामीण पर्यावरण को शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु जन-सहभागिता, विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । निजी व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण कर 50 प्रतिशत पेड़ों के प्रयोग का अधिकार दिये जाने का मेरी सरकार ने निर्णय लिया है ।

4. उत्तर प्रदेश : विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर राज्य

4.1 विभिन्न नियन्त्रण एवं लाइसेंस समाप्त हो जाने के उपरान्त औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं का महत्व और बढ़ गया है । किसी भी स्थान पर उद्योग विद्युत आपूर्ति, सड़क, पेयजल, चिकित्सा एवं शिक्षण सुविधाओं की पर्याप्त एवं सामयिक उपलब्धता से आकर्षित होते हैं । अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित एवं समुचित विकास हेतु मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपये की 'अवस्थापना विकास निधि' स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

4.2 ऊर्जा के क्षेत्र में पहले बताये गये सुधारों के अतिरिक्त विद्युत की निरन्तर बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ मिलकर तथा निजी क्षेत्र में कुल 2000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों को बिजली की कटौती से मुक्त रखा गया है तथा इस हेतु औद्योगिक फीडरों को अलग करने का कार्य किया जा रहा है ताकि उन्हें 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके ।

4.3 अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस वर्ष 3,300 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है । 1,000 किलोमीटर लम्बाई में नहर पटरियों को पक्का किया जा रहा है । मार्गों के अनुरक्षण हेतु 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की 'सड़क निधि' की स्थापना की गयी है । 'नाबार्ड' वित्त पोषण के माध्यम से 82 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

4.4 मेरी सरकार द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मध्य 25 किलोमीटर एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4.5 सेतु/रेल ओवर ब्रिज/सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश बनाये गये हैं तथा इस परियोजना को कार्यान्वित करने की कार्यवाई की जा रही है ।

4.6 पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय क्षेत्र में 5,780 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 53,348 इण्डिया मार्क-टू हैण्डपम्प लगाये गये हैं । मेरी सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे नगरों में जहां पहले से नल से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, वहाँ नल द्वारा इसे प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाए ।

4.7 निजी क्षेत्र के सहयोग से परिवहन सुविधाओं को और अधिक व्यापक बनाये जाने का मेरी सरकार का प्रयास है । इलाहाबाद से कलकत्ता के बीच राष्ट्रीय जल मार्ग द्वारा नियमित जल परिवहन की व्यवस्था भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है ।

4.8 नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्या के समाधान हेतु 'राज्य आवास नीति' में निजी एवं सहकारी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है । इसके अन्तर्गत पट्टागत नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व की भूमि के रूप में विक्रय किये जाने का

कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । समस्त नगरीय क्षेत्र में आवास-कर के निर्धारण में हो रही अनियमितताओं को रोकने एवं आय में वृद्धि हेतु 'स्वैच्छिक आवास-कर निर्धारण योजना' लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत भवन-स्वामी स्वयं, निर्मित क्षेत्र के आधार पर अपने भवन का, कर तय करके जमा करेगा ।

5. उत्तर प्रदेश : औद्योगीकरण की ओर अग्रसर राज्य

5.1 मेरी सरकार का स्पष्ट मानना है कि कृषि पर निर्भरता कम करके औद्योगिक एवं सेवा आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित की जाय ताकि रोजगार के वैकल्पिक अवसर सृजित हो सकें तथा गरीबी का उन्मूलन किया जा सके । छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समस्त अनुमोदन/स्वीकृतियाँ जिला स्तरीय जिला उद्योग केन्द्र से ही निश्चित समय-सारिणी के अनुसार प्रदान की जा रही है । निर्यात मूलक इकाइयों को 'सार्वजनिक उपादेयता' का दर्जा दिया गया है ।

5.2 उद्योग के लिए उच्चस्तरीय अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु 'इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशिएटिव फण्ड' स्थापित किया गया है । लखनऊ हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय घोषित किये जाने के पश्चात् इसे निर्यात का प्रमुख केन्द्र बनाने हेतु यहाँ 'माल परिवहन स्टेशन' की स्थापना विचाराधीन है ।

5.3 पूर्वांचल में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी गई है ।

5.4 औद्योगीकरण के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ तय करने हेतु प्रमुख उद्यमियों के साथ सूचना-प्रौद्योगिकी, चर्म-प्रौद्योगिकी एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए तीन 'उद्योग संवर्द्धन परिषदों' का गठन किया गया है ।

5.5 उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'फिल्म नीति' घोषित की गयी है । इसके अन्तर्गत एक 'राज्य सलाहकार समिति' का गठन किया जा चुका है तथा 'फिल्म निधि' की स्थापना भी की जा चुकी है ।

5.6 मेरी सरकार द्वारा अप्रवासी भारतीयों से निवेश आमन्त्रित करने हेतु मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक परिषद् के गठन का निर्णय लिया गया है ।

5.7 मछुआ समुदाय के सदस्यों को पारम्परिक रोजगार के अधिकार देने हेतु जलाशयों एवं खनन के छोटे पट्टे प्राथमिकता पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है ।

5.8 प्रदेश में कुल बुनकरों की संख्या 7.10 लाख है । 'प्रोजेक्ट पैकेज योजना' एवं 'हथकरघा विकास केन्द्र योजना' के माध्यम से मार्जिन मनी, करघे, रंगाई केन्द्र, बिक्री केन्द्र आदि की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'सामूहिक बीमा योजना' एवं 'थ्रिफ्ट फण्ड योजना' चलायी जा रही है । महिला बुनकरों के लिए 'राज राजेश्वरी महिला बुनकर बीमा योजना' इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गयी है ।

5.9 पिछले एक वर्ष में मेरी सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष और बहु-आयामी प्रयास किये हैं । पर्यटन नीति के अन्तर्गत बनायी गयी कार्य-योजना में 10 परिपथों को व्यवस्थित करते हुए पर्यटकों तथा उद्यमियों के लिए अनेक आकर्षक सुविधाओं, रियायतों और महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समाविष्ट किया

गया है । प्रदेश में जहां विभिन्न स्थानों पर महोत्सव आयोजित कराये जाते हैं, वहीं योग, आध्यात्म, ईको-टूरिज्म, साहसिक गतिविधियाँ, फिल्म, व्यंजन, हस्तशिल्प, ग्रामीण जीवन, हेरिटेज भवनों से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मथुरा तथा चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पाँच-पाँच करोड़ रुपये विशेष तौर से दिये गये हैं ।

5.10 औद्योगीकरण के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता तथा प्रदूषण, दोनों की ही ओर मेरी सरकार का ध्यान है । इस हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, सालिड वेस्ट डिस्पोजल परियोजनाओं आदि को अनुदान के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है ।

5.11 प्रदूषण समस्या के हल हेतु वृहत् एवं मध्यम श्रेणी के 224 चिन्हित उद्योगों में से 196 उद्योगों में जल प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की जा चुकी है । शेष या तो बन्द हैं या उनमें प्रदूषण नियन्त्रण की व्यवस्था की जा रही है ।

5.12 औद्योगीकरण में श्रम सम्बन्धी कानून एवं इसे लागू करने वाली मशीनरी का अत्यधिक महत्व है । एक ओर तो इनका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की उत्पादकता में कोई अनावश्यक बाधा न आये–इसे देखने का रहता है, वहीं दूसरी ओर इनका दायित्व श्रमिकों को विधि-सम्मत हित लाभ दिलाने का भी है । कृषि सहित समस्त 65 निश्चित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 'देय न्यूनतम वेतन की दरों' के पुनर्निर्धारण हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है । मेरी सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाने की प्रक्रिया अपनायी जाय तथा 'उत्पादन प्रोत्साहन योजना' लागू करायी जाय ।

6. उत्तर प्रदेश : नवीन प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग की ओर अग्रसर राज्य

मुझे यह सूचित करते हुए गर्व है कि नैसकॉम के अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में साफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में कर्नाटक के बाद दूसरा बड़ा राज्य है ।

6.1 मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग बनाये जाने का निर्णय लिया गया । इसके अन्तर्गत लखनऊ, आगरा, नोएडा, देहरादून तथा वाराणसी में पाँच 'साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कों' की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है । मेरी सरकार ने लखनऊ, इलाहाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर को 'स्मार्ट सिटी' बनाये जाने का निर्णय लिया है । जनसामान्य की समस्याओं का समय से निराकरण, प्रशासन के कार्यों को गति प्रदान करने व उनके अनुश्रवण के लिए राज्य मुख्यालय को समस्त मण्डलायुक्तों/ जिलाधिकारियों से वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से जोड़ने की योजना है । सूचना-प्रौद्योगिकी को दिशा प्रदान करने एवं इस क्षेत्र में हो रही प्रगति के निरन्तर अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक सलाहकार परिषद् के गठन का निर्णय लिया गया है ।

7. उत्तर प्रदेश : उन्नत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर राज्य

7.1 मेरी सरकार का विश्वास है कि प्रदेश के त्वरित विकास हेतु जहाँ एक ओर कृषि एवं उद्योग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को जनसामान्य तक पहुँचाने की भी जरूरत है ।

7.2 शिक्षा :

7.2.1 विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 77 जनपदों में 'सभी के लिए शिक्षा' परियोजना चलायी जा रही है । इसके अन्तर्गत जन-सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है । पिछले वर्ष लागू विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में पहले से चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए 'शिक्षा मित्र योजना' प्रारम्भ की गयी। इसके साथ ही 'शिक्षा गारंटी योजना' का भी सूत्रपात किया गया ।

7.2.2 प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी मेरी सरकार का निरन्तर प्रयास है । ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शैक्षिक सुविधा के लिए प्रदेश के समस्त असेवित विकास खण्डों को आच्छादित किया जा चुका है । अब राज्य सरकार द्वारा एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में एक अन्य कन्या विद्यालय खोलने की भी योजना लागू की गयी है ।

7.2.3 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कला संकाय की स्नातक कक्षाओं में समान पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा न कराने तथा परीक्षा पद्धति में छोटे उत्तर वाले अनेक प्रश्न पूछे जाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना के लिए मानकों एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है ।

7.2.4 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश से 37 संस्थाओं को संचालित कराया जा रहा है । चालू वर्ष में 30 और संस्थाओं को अनापत्ति प्रदान की गयी है । तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के स्तर में एकरूपता लाने, पाठ्यक्रम को ठीक से तैयार कर लागू कराने तथा शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने 'अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना करने का निर्णय लिया है ।

7.2.5 शिक्षा के साथ-साथ कलात्मक एवं सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का भी मेरी सरकार का संकल्प है । इस श्रृंखला में 'भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ' को 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

7.3 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

7.3.1 मेरी सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए कटिबद्ध है । इस वर्ष कुष्ठ निवारण एवं अन्धता दर में कमी लाने के विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

7.3.2 चिकित्सा क्षेत्र में मेरी सरकार का प्रयास बीमारियों की रोकथाम पर बल दिया जाना है । इस हेतु 'प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' चलाया जा रहा है ।

7.3.3 मेरी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से द्वितीय स्तरीय चिकित्सा सेवाओं के व्यापक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से 630 करोड़ रुपये की 'स्वास्थ्य विकास व्यवस्था परियोजना' लागू किये जाने का निर्णय लिया है ।

7.3.4 मेरी सरकार प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति चिन्तित है । इसे नियंत्रित करने हेतु बनायी गयी रणनीति में शिक्षा का प्रसार, शिशु मृत्युदर में कमी तथा मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल महत्वपूर्ण अंग हैं । इस रणनीति के क्रियान्वयन में अधिकाधिक जन-सहभागिता ली जायेगी जो स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं तथा शिक्षकों के माध्यम से की जायेगी । प्रदेश की 'जनसंख्या नीति' विचाराधीन है । इसे शीघ्र ही घोषित किया जायेगा ।

7.3.5 चिकित्सा-शिक्षा के क्षेत्र में इस समय स्थापित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से कानून बनाने का निर्णय लिया गया है । चिकित्सा-शिक्षा के और अधिक प्रसार हेतु निजी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाना शासन की नीति है । साथ ही साथ आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा देने हेतु मेरी सरकार कृतसंकल्प है । इस हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों पर 'पंचकर्म' की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का मेरी सरकार ने निर्णय लिया है ।

8. उत्तर प्रदेश : सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर राज्य

8.1 किसी भी देश अथवा प्रदेश की वास्तविक उन्नति मात्र वहाँ की प्रतिव्यक्ति आय से नहीं मापी जा सकती । इसके लिए आवश्यक है कि आय का वितरण भी यथासम्भव ऐसा हो जिससे कि न्यूनतम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । यदि ऐसा संभव न हो पा रहा हो तो शासन को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से इनकी प्रतिपूर्ति करना चाहिए। तदनुरूप मेरी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों जैसे–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग आदि के लिए कई कल्याणकारी योजनायें लागू की है ।

8.2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार ने 'जाट समुदाय' को 'अन्य पिछड़ी जातियों' में वर्गीकृत किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ।

8.3 मेरी सरकार द्वारा वृद्धों, विधवाओं एवं विकलांगों को लगभग 285 करोड़ रुपये की पेंशन तथा विभिन्न कमजोर वर्ग के छात्रों/छात्राओं को लगभग 520 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं । कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल एवं प्रशासनिक प्रतियोगिताओं हेतु कोचिंग की भी व्यवस्था की गयी है ।

8.4 कमजोर वर्गों के साथ मेरी सरकार का ध्यान अल्पसंख्यकों की ओर भी है । अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को पूर्व प्रचलित दर से दुगुनी दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया गया है । मदरसों में दीनी-तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी है । शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्डों का चुनाव कराकर दोनों का गठन कर दिया गया है । हज यात्रा को सुगम बनाने हेतु इससे सम्बन्धित फार्म अब जिला मुख्यालय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है ।

8.5 मेरी सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'आश्रय योजना' के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 5, 10 व 15 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर चालू वर्ष में 2,702 आश्रय उपलब्ध कराये जा चुके हैं। 'भाऊराव देवरस योजना' के अन्तर्गत लघु एवं मध्यम आय वर्ग के 7,116 लोगों को स्ववित्त पोषण के आधार पर आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

8.6 मेरी सरकार द्वारा वृन्दावन में विधवाओं को आवास, चिकित्सा एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रशिक्षण हेतु सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से योजना प्रारम्भ की गई है।

9. उत्तर प्रदेश : क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर समान विकास की ओर अग्रसर राज्य

9.1 प्रदेश की अन्तर-क्षेत्रीय विषमता एवं असन्तुलन के निराकरण हेतु वर्ष 1990-91 में 'पूर्वांचल विकास निधि' एवं 'बुन्देलखण्ड विकास निधि' की स्थापना की गयी थी। चालू वर्ष में इन दोनों निधियों में क्रमशः 150 एवं 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इनका उपयोग मुख्यतः इन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की अभिवृद्धि हेतु किया जाता है।

9.2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की स्वाभाविक संभावनाओं को देखते हुए अलग से एक पैकेज तैयार किया गया है। मेरी सरकार ने मध्यांचल विकास के लिए भी पृथक से एक पैकेज बनाने का निर्णय लिया है।

9.3 पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिन जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क एवं पुल, पेयजल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा चिकित्सा आदि के विकास की ओर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखने वाले कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पर्यटन, औद्यानिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, प्राकृतिक सम्पदा प्रबन्धन, जल अनुरक्षण एवं हार्वेस्टिंग, दैवी आपदा प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में अलग नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ये नीतियाँ पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियों एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए बनायी जायेंगी और इन्हें समयबद्ध रूप से लागू किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नये कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा। विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी।।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष अभिभाषण पढ़ते रहे)

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पहले मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहूंगा, कि प्रदेश का विकास राजनीति से ऊपर है और लोकतन्त्र का भविष्य हमारे आचरण पर निर्भर है । वह चाहे सदन के बाहर हो अथवा भीतर । हमें उम्मीद है कि आप सदैव इस सदन की गरिमा एवं पवित्रता बनाये रखेंगे । मुझे विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा प्रमुख होगी । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु आहूत करता हूं । जय हिन्द ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री मुराद लारी ने संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से कार्य सूची की प्रति छीनने का प्रयास किया।)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे, वर्ष 1998-99 तथा विनियोग लेखे, वर्ष 1998-99, उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे, वर्ष 1998-99, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे, वर्ष 1998-99, उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(2) उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जनवरी, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(3) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जनवरी, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :–

(4) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जनवरी, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

(सदन की वेल में आये हुये सदस्य श्री उदय राज यादव, श्री इलम सिंह, श्री तौफीक अहमद, श्री मुराद लारी, श्री आलम बदी, श्री अब्दुल कलाम एवं श्री वसीम अहमद सहित विपक्ष के अनेक सदस्य [x x x] नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान जारी रहा । इसी बीच किसी सदस्य ने [x x x] नारा लगाया ।)

नोट : [x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा श्री मुराद लारी के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्री मुराद लारी, सदस्य विधान सभा ने माननीय अध्यक्ष के प्रति जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है वह उनका ही नहीं, पूरे सदन का अवमान है। मैं मांग करता हूं कि श्री लारी के विरुद्ध सदन की अवमानना की कार्यवाई की जाय। मैं लिखित रूप में भी इसको दे रहा हूं।

(माननीय अध्यक्ष जी अपने आसन पर खड़े हो गये और सचिव महोदय को पढ़ना रोकने का संकेत किया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य सचिव, विधान सभा कार्यसूची की अगली मद को पढ़ने लगे।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

(5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

(6) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जनवरी, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और यह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

(7) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपने दिनांक 5 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 जनवरी, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा उ० प्र० विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 जनवरी, 2000 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उ० प्र० का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000

(घोर व्यवधान जारी)

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उ० प्र० राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 4 जनवरी, 2000 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 जनवरी, 2000 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उ० प्र० का दसवां अधिनियम बन गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रण समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2000 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 23 मार्च से 4 अप्रैल, 2000 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1– दिनांक 24 मार्च, 2000 को निधन के निर्देश हों, प्रश्नकाल न हो तथा अन्य सूचनायें भी न ली जायें ।

2– दिनांक 27 मार्च, 2000 को नियम 300, 301, नियम 51व नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

3– नियम 103 के अन्तर्गत ग्राह्य प्रस्ताव पर चर्चा व नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकृत चर्चा दिनांक 29 व 31 मार्च, 2000 तथा 3 एवं 4 अप्रैल, 2000 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व ले ली जाय ।

4– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा की तिथियों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायें ।

5– सदन का दिनांक 23 मार्च, से 4 अप्रैल, 2000 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

मार्च, 2000

23 गुरूवार	1-11.00 बजे पूर्वाह्न राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण । 2-12.30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना । (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो ।
24 शुक्रवार	निधन के निर्देश । (प्रश्नकाल नहीं होगा तथा नियम 300, 301, 51 व 56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी)
25 शनिवार 26 रविवार 27 सोमवार	बैठक नहीं होगी । 1-12.20 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । (2) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण । 2– वित्तीय वर्ष 2000-2001 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

3– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर सदन द्वारा विचार किये जाने विषयक संकल्प का प्रस्तुतीकरण ।

28 मंगलवार (शीतलाष्टमी का अवकाश) बैठक.....नहीं होगी ।

29 बुधवार 1– नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

2– नियम–103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।"

3– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

30 गुरूवार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर सदन द्वारा विचार किये जाने विषयक संकल्प पर, विचार एवं उसका पारण ।

31 शुक्रवार 1– नियम 103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

" यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य से पूर्व शब्द और चिह्न 'विधि,' रख दिया जाय ।"

2– नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी सदस्य, विधान सभा के गत सत्र के लम्बित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपभोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

3– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

अप्रैल, 2000

1 शनिवार
2 रविवार

बैठक नहीं होगी।

3 सोमवार

1– नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

2– श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

4 मंगलवार

1– नियम 103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जलस्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाये।"

2– प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोद्दार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित और गत सत्र के लम्बित सूचना पर चर्चा एक घण्टा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3- उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्य कलापों के सम्बन्ध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 6 फरवरी, 1999 पर सदन में आधे घण्टे की चर्चा ।

4- श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते है और कल 11.00 बजे पुनः बैठेगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 52 मिनट पर ...../अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 23 मार्च, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०-एस०यू०पी०-एल० 150 विधान सभा (287) 2000 813 (डी०टी०पी०) ।